राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 933/2023

रवि कुमार मीणा —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रबंध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, विद्युत भवन, अजमेर।
3. सचिव (प्रशासन), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिडेट, विद्युत भवन, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 13.02.2023
आदेश की दिनांक : 04.04.2023

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :— शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम—1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वाणिज्य सहायक के पद पर सहायक अभियन्ता (O&M), झाडोल, उदयपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 19.02.2019 (अनुलग्नक—2) द्वारा अपीलार्थी को सहायक अभियन्ता (O&M), कोटडा, उदयपुर टीएसपी क्षेत्र में नियुक्त किया गया। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या—2 को दिनांक 17.07.2021 (अनुलग्नक—3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दिसम्बर 2020 में नॉन टीएसपी क्षेत्र हेतु विकल्प लिया गया था परन्तु पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वर्तमान में अपीलार्थी टीएसपी क्षेत्र में ही रहना चाहता है। अतः अपीलार्थी के विकल्प को संशोधित कर टीएसपी क्षेत्र ही किया जावे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर विचार करने पर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.08.2021 (अनुलग्नक—4) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (O&M), कोटडा से सहायक अभियन्ता (O&M), झाडोल किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2021 (अनुलग्नक—5) द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक अभियन्ता (O&M), झाडोल, उदयपुर से एक्स ईएन (सिविल), एवीवीएनएल, चित्तौड़गढ़ किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील

स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन पर ही कार्य करने दिया जावे।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना चाहता है अतः अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी परिवेदना प्रस्तुत कर सके।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी तीन सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य